



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0-8-20

क्रमांक- 103/2017

आरबीई सं0-43/2017

सं0 का/254/2/भाग-22/चार

दिनांक 30-05-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-हेल्पर (ग्रेड पे 1800/- (लेवल-1) रु 18000-56900) के पद से तकनीशियन ग्रेड-III (ग्रेड पे-1900, (लेवल-2) रु 19900-63200) के पद पर पदोन्नति के लिए रेसीडेन्सी पीरियड में कमी के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)-2015/पीएम 1/20 दिनांक 03.05.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एनई रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

(ए0 के0 सिंह)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-2015/PM1/20

New Delhi, dated 03.05.2017

NER

The General Managers (P)

All Indian Railways & PUs.

(As per standard list)

Sub : Reduction in the residency period for promotion from Helper (G.P. Rs.1800, Level-1, Rs.18000-56900) to Technician-III (G.P.Rs.1900, Level-2, Rs.19900-63200).

358
In terms of extant provision contained in Board's letter No.E(NG)I-96/PM7/56 dated 2.2.1998, Helpers (G.P.Rs. 1800, Level-1) possessing the qualifications prescribed in the Apprentice Act, with a minimum of three years regular service are eligible to appear in the Selection against 25% qualified staff quota.

2. There has been a demand to reduce the residency period from existing three years to two years, at par with residency period of promotion for other categories. This issue has been raised by AIRF in the PNM forum.

3. Accordingly, the matter has been examined in consultation with the Zonal Railways, PUs & technical directorates of Railway Board and it has been decided that henceforth residency period for Helpers to appear in selection against 25% qualified staff quota will be two years.

The above instructions will be effective from date of issue of this letter.

Please acknowledge receipt of this letter.

Hindi version shall follow.

(P. M. Meena)

Deputy Director-II/E(NG)I

Railway Board.